

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/164075 बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-6579 दिनांक-22.09.2016 द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत नगर पंचायत, हरनौत का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की अनुसूची "क" क्रम संख्या-1 (क) की कंडिका (7) में उल्लिखित शब्द "डिहरी" एतद्वारा शब्द "डिहरी अंशतः" (डिहरी/डिहरीगढ़) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
15/6/2017  
(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग  
/पटना, दिनांक-

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/164075/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

15/6/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/164075/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-16/6/17

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, नालंदा/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/6/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/164075/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-16/6/17

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/6/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/164075/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-16/6/17

प्रतिलिपि:-नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सचिवों सहचालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/6/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

संख्या-5 न०वि०/वि०-21/16 अधिसूचना संख्या-4075 दिनांक-16/6/17 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत माठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar  
Urban Development and Housing Department

No-5 न०वि०/वि०-21/16 4076 / In exercise of the power conferred under section-6 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) Nagar Panchayat, Harnaut within Nalanda district has been constituted by the Departmental Notification no-6579 dated-22.09.2016 The word "Dehri" mentioned in para 7 of Serial No-1 (a) at schedule A of the said notification is hereby substituted by the words "Dehri Part" "(Dehri/Dehriharh)".

This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

UD&HD

Dated:- 16/6/17

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4076

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

UD&HD

Dated:- 16/6/17

. Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4076

Copy to All Departments/Departmental Heads/All Divisional Commissioner/All District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Nalanda/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Chaitanya Prasad)


Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4076 UD&HD

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Dated:- 16.6.17

  
15/6/2017

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary


Urban Development and Housing Department

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 4076

UD&HD

Dated:- 16.6.17

Copy to All Officers and Assistants, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

  
15/6/2017

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department